

हिन्दी ईमेगेज़िन • वर्ष १ • अंक ३०

शनिवार

एडिटर : धीमंत पुरोहित • संपादक : राजेश बादल



दुनिया का सबसे बड़ा संप्रेषक - गांधी

हिन्दी ईमेगेज़िन • वर्ष १ • अंक ३०

शनिवार

“ दुनिया का सबसे बड़ा संप्रेषक - गांधी ”

एडिटर : धीमंत पुरोहित
संपादक : राजेश बादल

प्रकाशक : www.newzviewz.com की ओर से
धीमंत पुरोहित

आपकी रचनाएं भेजने के लिए ईमेल
dhimantaajtak@gmail.com

समीक्षा के लिए पुस्तक भेजने का पता
कम्यूनिकेटर्स, 509, शिवालिक हाईस्ट्रीट,
मानसी सर्कल के पास, वस्त्रापुर,
अमदाबाद - 380015

मोबाइल - +91 98798 10101

मेगेजिन डिज़ाइन : हर्षल गिल्डर

दुनिया का सबसे बड़ा संप्रेषक - गांधी

राजेश बादल



महात्मा गांधी के जन्म के डेढ़ सौ साल हो रहे हैं। उन्हें हमारे बीच से गए सत्तर साल बीत चुके हैं। याने मेरे जन्म से करीब दस बरस पहले उनके शरीर ने विदाई ली थी। जब से मुझे होश है, महात्मा गांधी और इस देश के रिश्ते को आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की तरह महसूस किया है। गांधी एक अराजनीतिक प्रतीक के तौर पर आए और भारत के इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संघर्ष करें। असंख्य पोखरों में विभाजित एक देश में उन्होंने समंदर की लहरों का आवेग पैदा किया और गोरी हुकूमत को उस बाढ़ में बहा दिया। हम छोटे छोटे अनगिनत तालाबों में बँटे थे। ये तालाब एक राष्ट्रीय आंदोलन की शकल नहीं ले सकते थे। क्योंकि तब ये तालाब वास्तव में राष्ट्र के आकार में असर डालने वाले नहीं थे। एक देश दरअसल समंदर ही है और खास बात यह



है कि समंदर की समग्रता में ही ज्वार आता है। सतही ढंग से सोचने वाले कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि बर्तानवी सत्ता ने ही वास्तव में ढेरों शासन प्रणालियों के सहारे चल रहे छोटे छोटे उप राष्ट्रों को भारत जैसे एक महाराष्ट्र का आकार दिया। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। अंगरेजों ने हमें सामान रूप से गुलामी की राष्ट्रीय चुभन दी। गांधी ने उस चुभन या तीखी धार को अपने प्रभाव से न केवल हल्का किया, बल्कि यह अहसास भी कराया कि उनके पास जो जादू की छड़ी है, उससे ही आज़ादी का द्वार खुलता है। इस धारणा पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने यकीन किया। इसके बाद ही आसमान में ढेर सारे तारे आसमान को अपना मानने लगे। मैं तो इसी को आधुनिक भारत में रूपांतर देखता हूँ। लेकिन हाल के दौर में एक अजीब सा विरोधाभास भी मैं देख रहा हूँ। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि गांधी ने हजारों साल के इतिहास में भारत की ऊसैर ज़मीन में पहली बार आज़ादी की फसल को लहलहाने और उसे हम सबको काटने का अवसर दिया है। लेकिन आज हम पाते हैं कि गांधी से उपकृत राष्ट्र में उनका पुण्य स्मरण करते हुए वह हार्दिक कृतज्ञता बोध नहीं है। उनकी मौलिकता हम जस का तस क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कर्तव्य की तरह हम उन्हें याद करते हैं, हमारे नियंता भी याद करते हैं, लेकिन उसी के समानांतर आधुनिक मीडिया में उनके योगदान को शापित करने का षड्यंत्र भी हो रहा है। पिछले चालीस-पचास वर्षों में कभी गांधी की छबि को खंडित करने के प्रयास नहीं हुए। लेकिन अब न केवल गांधी को अनेक ऐसे घटनाक्रमों के लिए भी जिम्मेदार ठहरोया जाने लगा है, जिनका वास्तव में उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। कह सकते हैं कि गांधी को लेकर दो बड़े पाप हमसे हुए हैं, जिनका प्रायश्चित इस देश को आज नहीं तो कल करना ही होगा। एक तो गांधी को हमने अपने समाज की स्मृति से अनुपस्थित हो जाने दिया और दूसरा यह कि इतिहास की अनेक भूलों को हम गांधी के नाम थोप कर अपने आलसीपन के अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

गांधी और क्या कर सकते थे ? संसार के सबसे बड़े साम्राज्य से अहिंसक संघर्ष करने के बाद उसकी विदाई के बाद हम गांधी से और क्या चाहते थे। गुलामी से मुक्त एक विराट देश को शासन संचालन का भी मंत्र गांधी से मिले - हम ऐसा क्यों चाहते थे ? गांधी की कोख से निकले सत्याग्रह ने आज़ादी का फल हमें दिया। इसके बाद

शासन संचालन की जिम्मेदारी हमारी थी। हम उसमें भी गलतियों के लिए गाँधी को जिम्मेदार मानने लगे हैं। गाँधी के प्रयासों से मिले वरदान को हम अभिशाप में बदलना चाहते हैं और इसका ठीकरा भी महात्मा गाँधी पर फोड़ना चाहते हैं। तक्रलीफ़देह तो यह कि उस वर्ग ने गांधी को सवालियों के घरे में लाने की कोशिश की है, जिन्होंने कभी उन्हें समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं और वो कहते हैं कि आज की अनेक समस्याओं के लिए गांधी दोषी हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैंने गांधी को समग्र रूप से आत्मसात कर लिया है। ऐसा कोई कह भी नहीं सकता क्योंकि गांधी दर्शन वास्तव में है क्या? गाँधी ने हिन्दुस्तान को पढ़ा और उसका निचोड़ हमें दिया तो नया क्या है? असल बात तो यही है कि हमने अपने हिन्दुस्तान को ही नहीं समझा, पढ़ा, और जाना। आज़ादी के बाद तेज़ी से भाग रही दुनिया के साथ दौड़ने के चक्कर में हमने अपने आपको विलोपित कर दिया। आज उसी का खामियाज़ा तो भुगत रहे हैं।

गांधी वास्तव में एक विलक्षण संप्रेषक थे। वे अहिन्दीभाषी थे। उन्हें अच्छी हिंदी नहीं आती थी। लेकिन जब वे हिंदी में अपने विचार रखते थे तो सीधे दिल और दिमाग पर असर करते थे। चाहे धर्म को लेकर उनकी व्याख्या हो या राजनीति पर। चाहे छुआछूत पर उनके विचार हों या गाँवों को अपने पैरों पर खड़े होने का मंत्र हो। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी को अपने विचार या भाव व्यक्त करने में कोई समस्या आ रही है अथवा हम लोगों को उसे समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह क्या थी? मेरे खयाल में गाँधी पिछले सौ साल में जो सर्वश्रेष्ठ संप्रेषक हुए हैं, उनमें से एक थे। उस श्रेणी में मुंशी प्रेमचंद, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, भूपेन हज़ारिका, आर के नारायण, साहिर लुधियानवी, अटल बिहारी वाजपेयी या ऐसे ही कुछ और नाम रखना चाहूंगा। इसके बावजूद गाँधी इन सबसे ऊपर हैं। दरअसल संप्रेषण क्या है? अपने विचारों को इस तरह से दर्शक या श्रोता



तक पहुंचाना कि वो उसके दिलो दिमाग पर इस तरह दर्ज हो जाए कि मरते दम तक न निकले। मैंने कुछ नामों का उल्लेख किया है, उनमें एक समानता थी। वो अपने शब्दों को कुछ इस तरह कागज़ पर उतारते थे कि पढ़ने वाले से गहरा रिश्ता बन जाता था। मसलन मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण लें तो याद करिए कि उनकी एक एक कहानी किस तरह आपको झकझोरती है। एक एक शब्द अनेक बार आँसू ले आता है। कितनी कहानियाँ हैं—दादी का चिमटा, बड़े भाई साहब, रामलीला, गबन, कफ़न, गोदान, निर्मला, सेवासदन, और भी न जाने कितनी अनमोल रचनाएँ। याद करिए कितने बार दिल न भर आया होगा। बाकी शब्द सितारे भी अपने लेखन से सीधे हमारे साथ रिश्ता बनाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की बात सबसे अलग है। अंगरेजी उनकी मूल भाषा नहीं थी मगर जब गोरों से संवाद करते तो उन्हें निरुत्तर कर देते थे। हिंदी में जब बोलते थे, तो बात एकदम अंदर तक उतर जाती थी और ऐसे उतरती थी कि सुनने वाला मरते दम तक न भूलता। मैं जब महात्मा गांधी पर अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था तो कुछ ऐसे लोगों से मिला, जिन्होंने गांधीजी के साथ काम किया था अथवा उनको सुना था तो उन लोगों ने मुझे शब्दशः वही बयान किया जो सत्तर या पचहत्तर साल पहले गांधी जी ने उनसे व्यक्त किए थे। तो यह ताक़त कहाँ से आती है ?

असल में जो तथ्य हमें प्राणी संसार की अन्य प्रजातियों से अलग करता है, वो यही है कि हमारी सोचने की क्षमता और उस सोचे हुए को विचार की नदी में शब्दों की धारा के रूप में बहा देने का जो हुनर हमें हासिल है वो किसी और प्राणी को नहीं। लेकिन मुश्किल यही है कि शब्दों की धारा निकले कैसे ? हमारी आज लिखने पढ़ने की आदत करीब करीब समाप्त सी होती जा रही है। सौ में दो चार फीसदी लोगों

में यह आदत बची है। बाकी तो अपने दिमाग में जैसे शब्दों को फीड करना ही भूल गए हैं। इसका नुकसान यह हुआ है कि आज इनसान जो सोचता है, उसे ठीक उसी भाव से व्यक्त कर नहीं पाता। सोचता कुछ है और निकलता कुछ और है। ऐसे में अनेक बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रिश्ते बिखरने की नौबत आ जाती है। आप कहते कुछ हैं और अर्थ कुछ और सामने वाला कुछ और समझता है। तो यह स्थिति है संप्रेषण में कमजोरी का परिणाम। गांधी जी के संप्रेषण में यह कमजोरी नहीं थी। उन्होंने पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी थी। इतना पढ़ा था कि विचार के हर बारीक रेशे के लिए उनके पास अलग अलग शब्द थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ़ किताबों, धर्मग्रंथों या समाचार पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं थी। वो समाज को भी पढ़ते थे। यह एक ऐसा अनोखा हुनर है, जो सबके पास नहीं होता। हम समाज की पाठशाला में ज़िदगी भर पढ़ते हैं, अनगिनत अनुभवों से गुज़रते हैं, उन अनुभवों को विचार और शब्दों का रूप देते हैं। उन अल्फ़ाजों का कोई तोड़ नहीं होता। अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जब कोई उमर दराज़ बूढ़ा इस लोक से जाता है तो अपने साथ एक विशाल पुस्तकालय ले जाता है। इसी कारण कहा जाता है—जो बुजुर्गें दें, उसे सहेज कर रखना चाहिए। न जाने कब काम आ जाए। जो कौम अपने पूर्वजों को भूलने का अपराध करती है, उसके लिए हर सज़ा कम है। हमने इस कारण भी गांधी को भूलने का अपराध किया है। उसके लिए कटघरे में खड़े हैं। कम से





कम मैं तो यही महसूस करता हूँ।

जब हम गांधी के संप्रेषण की बात करते हैं तो एक दुर्लभ संयोग भी देखते हैं। वो जितने बेहतर अंदाज़ में माइक पर या सभा में अपने विचारों को सुनने वालों तक पहुंचाते थे, उससे कहीं शानदार ढंग से वो एक पत्रकार या संपादक के रूप में लिखकर अपने भावों को बयान करते थे। करीब करीब सत्ताईस-अट्ठाईस साल तक गांधीजी एक संपादक के रूप में जिस तरह से अपने विचार व्यक्त करते रहे, वे वास्तव में आज के समाज तक पहुंचे ही नहीं। हम उन्हें स्वराज दिलाने वाले महानायक के रूप में जानते हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी और इसका मकसद सिर्फ़ आज़ादी था इसलिए भारतीय इतिहास के अनेक महापुरुषों की संप्रेषण शैली और पत्रकारिता पर आज ज़्यादा बात नहीं होती। इन महापुरुषों को केवल

स्वतंत्रता सेनानी मानकर हम उनके समग्र मूल्यांकन पर क्यों ध्यान नहीं दे पाए -यह बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। गांधी को याद करते समय एक तो राष्ट्रपिता जैसा कुछ भाव मन में आता है देश को आज़ादी दिलाने वालों में गांधी का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए हम गांधी के अन्य रूप हमें याद ही नहीं आते। खासतौर पर गांधी का पत्रकार वाला रूप। कल्पना करिए कि जो बच्चा सिर्फ़ दस बरस की आयु में हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है। जिन्दगी का पहला समाचार पत्र इसी उमर में पढ़ता है और इक्कीस साल की आयु में द वेजिटेरियम में प्रकाशित अपने नौ लेखों की श्रृंखला से तहलका मचा देता है। तेईस साल का होने तक वह नियमित पत्रकार बन जाता है।

वे दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो भरपूर नौजवान थे। वहाँ की अदालत में पहला मुकदमा लड़ते हैं लेकिन तीसरे दिन ही गोरे अदालत में उनका अपमान करते हैं। इस अपमान के विरोध में वे अखबारों में अपने लेखों की झड़ी लगा देते हैं। माहौल गांधी के पक्ष में बन जाता है। लन्दन से इंडिया नामक अखबार का प्रकाशन शुरू कराते हैं और दक्षिण अफ्रीका से उसके संवाददाता की तरह लंबे समय तक काम करते हैं। एक सौ पंद्रह साल पहले दक्षिण अफ्रीका से 1903 में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू करते हैं। अंगरेज़ी में ही नहीं, हिंदी, गुजराती और तमिल में। उसका कोई अंक महात्मा गांधी की रिपोर्ट के बिना नहीं छपा। हर महीने अपनी जेब से 1200 रूपए खर्च करते हैं और भारत आने तक वे अपने 26000 रूपए इस समाचार पत्र में लगा चुके थे। अपने इस लेखन के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले या किसी को ख़श करने के लिए नहीं लिखा। सन 1915 में वे हिंदुस्तान आते हैं। भारत भर में घूमते हैं। देश की नब्ज़ समझने का प्रयास करते हैं। और फिर लोगो तक अपनी बात पहुँचाने के लिए पत्रकार बन जाते हैं। सन 1919 में याने करीब सौ साल पहले नवजीवन गुजराती में शुरू करते हैं। यंग इंडिया के



संपादक बनते हैं और उद्वेलित करने वाले विचारों की नदी बहा देते हैं। यंग इंडिया के संपादक बनते ही पहला पत्र अखबार में उन लोगों को लिखते हैं, जो उनसे असहमत होते थे या उनका विरोध करते थे। दूसरा पत्र वे उन गोरों को लिखते हैं, जिसमें वे उन्हें भारत की आजादी के लिए सहमत करने वाले तर्क देते हैं। ये दोनों अखबार करीब करीब तेरह - चौदह साल निकलते रहे। गांधी के नैतिक साहस का एक

और उदाहरण। सन 1919 में एक एक्ट लागू हुआ। इसमें प्रकाशित होने वाली हर सामग्री की पूर्व अनुमति जरूरी बना दी गई थी। गांधी इसके विरोध में सत्याग्रह का प्रकाशन करते हैं। इस अखबार के प्रकाशन की अनुमति भी वे नहीं लेते। पहले अंक में ही लिखते हैं कि सत्याग्रह का प्रकाशन तब तक होता रहेगा, जब तक कि एक्ट वापस नहीं लिया जाता। यह साहस दिखाने वाले सिर्फ गांधी ही हो सकते थे।

इसके बाद 1933 में उनकी पहल पर हरिजन कल्याण के लिए नया अखबार निकलता है। यह पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में निकला। उनका इस समाचारपत्र के लिए उद्देश्य एकदम साफ़ था - सेवा। आज विचारों की खुराक हमें कहां मिलती है। न के बराबर। गांधी ने उस समय कहा कि एक विचार पत्र होना चाहिए। यही वह समय है जब गांधी साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं, जब तक मुल्क आजाद नहीं होगा साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। सरकार के दबाव और सेंसरशिप के विरोध में वे लिखते हैं - एक एक पंक्ति अगर दिल्ली में बैठे प्रेस सलाहकार को भेजना पड़े तो मैं स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकता। प्रेस की आजादी तो विशेषाधिकार है। गांधी के तेवर से सरकार परेशान थी। जब 1942 में अंगरेजों! भारत छोड़ो आन्दोलन छेड़ा तो हरिजन बन्द करना पड़ा। गांधी जेल गए और इधर हरिजन पर ताला पड़ गया। एक एक प्रति जला दी गई। दो बरस बाद गांधी जी जेल से छूटे तो फिर हरिजन शुरू कर दिया। सेवाग्राम से ही उन्होंने सर्वोदय का भी प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। यह उनके अंत समय तक जारी रहा। गांधी ने अपने को पूर्णकालिक पत्रकार ही माना था। उनका कहना था कि सबसे बड़ा काम देश की आजादी है। इसके बाद मेरा काम पत्रकारिता का है। उन्होंने साफ़ साफ़ कहा था, संपादक को कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन अपने विचार खुलकर व्यक्त करना चाहिए।

शताब्दी के इस संप्रेषण शिखर पुरुष को सलाम !